E-mail

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांकःसा0– 1765 / मी0क्षे0 / 33 / दिनांक,मीरजापुर,अक्टूबर 11 , 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग में मे0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट एवं आवासीय क्षेत्र के स्थापना हेतु 115.874 हे0 आरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक–एफ0एन0–8–07 / 2019 एफ0सी0 दिनांक 28.08.2019 एवं शासन का पत्रांक–129 / 81–2–2019–800 (162) / 2018 दिनांक 02.09.2019 तथा आपका पत्रांक–472 / 11–सी–एफ0पी0 / यू0पी0 / इन्डस्ट्रीज / 23246 / 2016 / दिनांक 04.09.2019

महोदय,

विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों के निराकरण की सूचना / अभिलेख तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 826 / ओबरा 15भू0ह0 दि0 23.09.2019 द्वारा प्रश्नगत मामले की बिन्दुवार आख्या उपलब्ध करायी गयी है जिसे परीक्षणोपरान्त संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा) 11/x
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र संख्या–एफ0नं0 8–07/2019 –एफ0सी0 दिनांक–28.08.2019 में उल्लिखित बिन्दुः–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र संख्या–एफ0नं0 8–07/2019 –एफ0सी0 दिनांक–28.08.2019 में उल्लिखित बिन्दु	आख्या/सूचना
1	**2**
I. The State Govt. should give details on what action has been taken against unauthorized use of forest land.	• उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 1954 में चुर्क व डाला सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित की गयी थी। • जनपद–सोनभद्र (जो पूर्व मे मिर्जापुर जिले का भाग था) के ओबरा वन प्रभाग के ग्राम–कोटा (डाला) में राज्य सरकार द्वारा सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन को हस्तान्तरित कर दिया गया। • जनपद–सोनभद्र (पूर्व मे मिर्जापुर) के परगना–अगोरी में जमीन्दारी 1 जुलाई 1953 को टूटी और उस समय जो किसी की भूमिधारी थी तथा जो मौके पर खेती होती थी व आबादी को छोडकर शेष भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई और चूँकि परगना–अगोरी मे जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा 117(1) की विज्ञप्ति नहीं हुई थी, इसलिये राज्य सरकार ने शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर 1953/16 नवम्बर 1953 द्वारा कैमूर पर्वत के दक्षिण (जहाँ ग्राम–कोटा, पडरछ व पनारी पडता है) में स्थित समस्त भूमि को प्रबन्ध के लिये वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया। • उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 1977–78 में ग्राम–कोटा, वर्ष 1969 में ग्राम–पनारी (ओबरा पनारी) तथा वर्ष 1970 में ग्राम–पड़रछ में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 की विज्ञप्ति हुयी। • वर्ष 1982 में वनवासी सेवा आश्रम के संस्थापक श्री प्रेम भाई नें मा0 उच्चतम् न्यायालय में 1061/1982 में एक जनहित याचिका दाखिल किया, जिसमें मा0 न्यायालय ने दिनांक 20. 11.1986 को कैमूर पर्वत माला के दक्षिण भूमि क्षेत्रों के भौमिक अधिकार एवं सर्व सेटिलमेंट करनें का आदेश पारित किया। • मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार हुई सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही में ग्राम–कोटा, पडरछ, व पनारी की काफी भूमि सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही में अपीलीय न्यायालय (अपर जिला जज) द्वारा भूमि के सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा जारी भारतीय वन अधिनियम की विज्ञप्ति को सही मानते हुये, सुरक्षित वन के पक्ष मे निर्णीत की गई। जिसके आधार पर तत्कालीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा सुरक्षित वन के पक्ष मे निर्णीत भूमि को सुरक्षित वन के खाते में दर्ज किया। जिसके क्रम में ग्राम–कोटा व पनारी की भूमि के सम्बन्ध में भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 की कार्यवाही चल रही थी। • उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित कर उसे दिनांक–08.12.99 को Wound Up कर लिक्विडेशन के अधीन कर दिया गया तथा आफिसियल लिक्विडेटर नियुक्त किया गया। • उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन डाला की फैक्ट्री के Wound Up होकर उसकी परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए कम्पनी कोर्ट लिक्विडेशन के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई।

- उ0प्र0रा0सीमेन्ट कारपोरेशन के परिसमापन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों के केता को दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश शासन के राज्य औद्योगिक विकास अनुभाग–1, द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं0–3623/77–1–2008–15 (बी.आई.एफ.आर.)/92 दिनांक–10.10.2006 को मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रस्तर 9, जो कम्पनी के पक्ष मे लाइमस्टोन के पट्टे का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध मे था, उसमे वन क्षेत्र में पडने वाले लीज के क्षेत्र के सम्बन्ध मे निम्न तथ्य अंकित किये गये थे :–

"यह उल्लेखनीय है कि यदि भूमि वन मे अवस्थित है, उसके केता को नवीनीकरण के सम्बन्ध मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों तथा समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार प्रस्ताव आने पर सक्षम स्तरों से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर वाछित शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। यदि भूमि सैंक्चुअरी मे अवस्थित है उसके गैरवानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु अनुमति निर्धारित प्रकिया के अनुसार उच्चतम् न्यायालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर दी जायेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि जो हिस्से वन भूमि मे पडते है कि उनको नवीनीकरण भारत सरकार की पूर्व अनुमति से तथा वांछित शुल्क के भुगतान के पष्चात ही सम्भव है। अतः यथा समय अधिनियम के तहत एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेषों को ध्यान मे रखते हुये वन विभाग द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जानी होगी। यह उल्लेख भी समाचीन है कि राज्य सरकार की ओर से पट्टों के नवीनीकरण के सम्बन्ध मे कोई भी वित्तीय छूट का उल्लेख नहीं है। इस प्रकरण में भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं तत्पश्चात कुछ प्रकरणों मे वनविभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उ0प्र0राज्य सीमेन्ट निगम लि0 (परिसमापनाधीन) की इकाईयों के विकय से सम्बन्धित अनुतोष एवं रियायतें में आच्छादित भूमि में से जो भूमि वन मे अवस्थित है उनके केता फर्म के हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे देय राशि के भुगतान के सम्बन्ध मे वन विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगें।"

- उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय कम्पनी कोर्ट ने दिनांक–11–10–06/12–10–06 को जे0पी0 ऐशोसिएट्स के पक्ष मे विकय की पुष्टि कर दिया।

मा0 उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग–1, द्वारा प्रस्तुत कार्यालय ज्ञापन सं–3623 /77–1–2008–15 (बी.आई.एफ.आर.) /92 दिनांक– 10.10.2006 पर मा0 उच्च न्यायालय कम्पनी कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक– 11–10–06 के परिपेक्ष्य में जे0पी0एशोसिएट्स को लीज के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिये था, जिसे नये सिरे से लीज हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र मानकर उस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 व मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा टी0एन0 गोडावर्मन बनाम भारत सरकार की याचिका में पारित निर्णय दिनांक–12–12–96 के अनुसार कार्यवाही की जाती किन्तु जे0पी0 ऐशोसिएट्स द्वारा लीज के नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र न देकर उ0प्र0रा0 सीमेन्ट कारपोरेशन की लीज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली व मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार हुई सर्वे की कार्यवाही में

ग्राम–कोटा, पडरछ व पनारी, मारकुण्डी व मकरीबारी की कुल 1083.203हे0 सुरक्षित वन के पक्ष में निर्णीत भूमि को वन संरक्षण अधिनियम की Applicability को समाप्त करनें तथा लीज लेने में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली आवश्यक देयताओं को बचाने के उद्देश्य से सुरक्षित वन के प्रस्ताव से पृथक कराने के सम्बन्ध मे मेंo जे0पी0 एसोसिएट्स, लि0 द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी सोनभद्र के न्यायालय में ग्राम–कोटा में वाद संख्या 180/353/2007 द्वारा 27.854हे0, वाद संख्या 181/354/2007 द्वारा 210.056हे0, वाद संख्या 386/388/2007 द्वारा 18.272हे0, ग्राम कोटा पडरछ में वाद संख्या 395/397/2007 द्वारा 221.955हे0 व 51.064हे0, ग्राम पनारी में वाद संख्या 386/398/2007 द्वारा 70.012हे0, ग्राम–मारकुण्डी में वाद संख्या 398/400/2007 द्वारा 253.176हे0 तथा ग्राम–मकरीबारी में वाद संख्या 399/401/2007 द्वारा 230.844हे0 अर्थात कुल 1083.203हे0 क्षेत्र पर वर्ष 2007 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 9/11 के तहत वन भूमि के सम्बन्ध मे वाद प्रस्तुत कर दिया गया। कुल 1083.203हे0 क्षेत्र में से ओबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा, ओबरा पनारी व पड़रछ में कुल 599.183हे0, सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम मकरीबारी में कुल 230.844हे0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के ग्राम–मरकुण्डी में कुल 253.176हे0 क्षेत्र सम्मिलित है।

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–20.11.1986 के क्रम में उपरोक्त कुल 1083.203हे0 क्षेत्र में से सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम–मकरीबारी का 230.844हे0 छोड़कर शेष क्षेत्र के सम्बन्ध में वन वन्दोवस्त अधिकारी सोनभद्र द्वारा पूर्व में (वर्ष 1993–94 व वर्ष 1998–99) ही वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका था, जिसकी पुष्टि अपर जिला जज द्वारा की गयी।
- परन्तु जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 की तरफ से जनवरी 2007 में कुल 1083.203हे0 क्षेत्र के सम्बन्ध में पुनः नये सिरे से मा0 एफ0एस0ओ0 न्यायालय में धारा–9/11 के अन्तर्गत प्रस्तुत उपरोक्त वादों में वन वन्दोवस्त अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को धारा 4 की विज्ञाप्ति से पृथक करनें का आदेश पारित किया गया। जिसकी पुष्टि जिला जज द्वारा भी कर दिया गया था।
- वन वन्दोवस्त अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 180/353 व 181/354 में परित निर्णय दिनांक–19.09.2007 तथा मा0 जिला जज सोनभद्र द्वारा सिविल मिसलिनियस अपील संख्या 61/2007 व 63/2007 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 बनाम् वन विभाग में पारित निर्णय दिनांक–07.01.2008 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करनें के सम्बन्ध में प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया गया।
- उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या–3792/14–2–2008 दिनांक–12.09.2008 से जिला शासकीय अधिवक्ता व न्याय विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में मा0 उच्च न्यायलय में याचिका प्रस्तुत करनें के अनुमति नहीं दी गयी तथा जनपद–सोनभद्र में धारा 20 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव शासन को 02 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- उ0प्र0 शासन के उक्त निर्देश के क्रम में वर्ष 2008 में जे0पी0 एसोसिएट्स के क्लेम के आधार पर धारा–4 की विज्ञप्ति से पृथक किये गये क्षेत्रों को छोड़कर विज्ञप्ति संख्या–4952/14–2–2008–20(17)/2008 दिनांक–25.11.2008 से ग्राम–कोटा तथा विज्ञप्ति

5

	संख्या–4953 / 14–2–2008–20(17) / 2008 दिनांक–25.11.2008 से ग्राम–ओबरा पनारी तथा विज्ञप्ति संख्या–4951 / 14–2–2008–20(16) / 2008 दिनांक–25.11.2008 से ग्राम मकरीबारी का भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया। • जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा अनाधिकृत रुप से वन भूमि कब्जा करने के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्ति द्वारा सी0ई0सी0 में शिकायत दर्ज करायी, जिस पर सी0ई0सी0 द्वारा सम्बन्धित पक्षो से रिपोर्ट / आख्या मांगी गयी। पक्षो द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करनें के उपरान्त सी0ई0सी0 द्वारा अपनी संस्तुति मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय में रिट संख्या–2469 / 2009 दाखिल की गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली को सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। जिसके क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0 नं0 1166 / 2015 में दिनांक–04.05.2016 को जे0पी0एसोसिएट्स लि0 से सम्बन्धित कुल 1083.203 हे0 (जिसमें से ओबरा वन प्रभाग का 599.183हे0 है) क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। • मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–04.05.2016 के अनुपालन में ग्राम–कोटा, ओबरा पनारी के सम्बन्ध में पूर्व मे जारी धारा 20 की विज्ञप्ति को निष्प्रभावी मानते हुये कुल 1083.203हे0 क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ओबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा में विज्ञप्ति संख्या–1142 / 14–2–2016 –20(4) / 2016 दिनांक –23.06.2016 द्वारा कुल 12440.413हे0, ग्राम ओबरा पनारी में विज्ञप्ति संख्या–1141 / 14–2– 2016 –20(3) / 2016 दिनांक– 10.06.2016 द्वारा कुल 1912.751हे0, सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम मकरीबारी में विज्ञप्ति संख्या–1139 / 14–2–2016–20(1) / 2016 दिनांक–10.06.2016 द्वारा कुल 398.5570हे0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभागी मीरजापुर के ग्राम मरकुण्डी में विज्ञप्ति संख्या–1192 / 14–2–2016– 20 (5) / 2016 दिनांक–10.06.2016 द्वारा कुल 904.768हे0 क्षेत्र का पुनः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया। • मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–30.05.2016 के अनुपाल में मे0 जे0पी0एसोसिएट्स लि0, डाला द्वारा जे0पी0 सुपर प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसके क्रम में प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है। • यह भी अवगत कराना है कि MOEF & CC के GO नं0 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 में वर्णित तथ्य–"Activities which constitutes violations of provisions of Forest Conservation Act 1980 and rules made thereof and guidelines issued in this behalf, by user agencies and quantum of penalty to be imposed – regarding common guideline to be followed by FAC/REC while considering the proposal under FC Act 1980". • उक्त गाइड लाईन में FCA 1980 के उल्लंघन निम्न प्रकार वर्णित किया है– "3. Accordingly, the Ministry has decided to adopt following guidelines while imposing penalty in various cases, on the recommendations of FAC/REC after due deliberation in its meeting, for use of forest land for non-forestry purposes in violation of the provision of

	the Forest (Conservation) Act 1980, Rules made thereof and guidelines issued from time to time to implement FC Act and Rules: E. In cases where 'Forest land' has been changed to 'non forest land' in government records: If the violation is not attributable to the user agency, no penalty shall be imposed."
II. What action has been taken against erring officers who have issued orders for use of forest land for non-forestry purpose in gross violations of Forest (Conservation) Act, 1980.	वर्ष 2008 में मैं0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 के क्लेम के अधार पर वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा अपने न्यायलय में नये सिरे से वादों की सुनवाई करते हुए प्रश्नगत क्षेत्र धारा 4 की विज्ञप्ति से पृथक कर दिया गया था, प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–04.05.2016 को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र को सुरक्षित वन के पक्ष में अमलदरामद कराते हुए, धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया तथा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के आदेश दिनांक–30.05.2016 के अनुपालन में मैं0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग करनें हेतु प्रभाग स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–1 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।
III. Whether all court orders pertaining to the project has been complied with or not?	विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–04.05.2016 के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र को सुरक्षित वन के पक्ष में अमलदरामद कराते हुए, धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया जा चुका है। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–30.05.2016 के अनुपालन में मैं0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
IV. It has come to the notice that the present project will be transferred to M/s Ultra Tech Cement Ltd. State Government need to clarify why the permission for diversion of forest land is not being taken in the name of M/s Ultra Tech Cement Ltd.	इस सम्बन्ध में विस्तृत आख्या वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में संलग्न मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी में इंगित प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के पत्रांक 304/ओबरा/15 भू0ह0, दिनांक 28.07.2018 में सन्निहित है। **(संलग्नक– प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा के पत्रांक 304/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 28.07.2018 मय संलग्नक)।**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

C:\Users\sunshine\Desktop\Ramesh Mayry\J P ASOSIATS.docx